

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक फरवरी, 2015

पत्र संख्या-1/एल01-10-02/2015 गृ0आ0 /श्री आनन्द कुमार, भा0पु0से0 (2012), अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, समस्तीपुर को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक दिनांक 13.02.2015 से 29.03.2015 तक कुल 45 (पैंतालीस) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री कुमार के अवकाश अवधि में अपर पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर अपने कार्यों के अतिरिक्त अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, समस्तीपुर के प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(कौशलेन्द्र पाठक)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-02/2015 गृ0आ0

/पटना, दिनांक फरवरी, 2015

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-02/2015 गृ0आ0

/पटना, दिनांक फरवरी, 2015

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-02/2015 गृ0आ0

1196

/पटना, दिनांक 18 - फरवरी, 2015

प्रतिलिपि:- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ श्री आनन्द कुमार, भा0पु0से0 (2012), अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, समस्तीपुर/ अपर पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।